



भारत सरकार, रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड

शुद्धि-पत्र

केन्द्रीयकृत रोजगार अधिसूचना संख्या- 01/2010

30/01/2010 को रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन में कृपया निम्न संशोधन पढ़ें :-

- (1) पेज सं.22 पर, गुवाहाटी की पूर्व की अधिसूचना की कोटि संख्या (अधिसूचना संख्या) 1(1/2008) के स्थान पर “ 8(1/2008)“ पढ़ी जाए ।
- (2) पेज 22 पर, महत्वपूर्ण सूचना की पहली पंक्ति (रिक्तियों की संख्या की सारणी के नीचे)
“.....संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड की पूर्व में जारी अधिसूचनाओं.....“ के स्थान पर
“.....संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड की उपरोक्त सारणी में दर्शाये अनुसार पूर्व में जारी अधिसूचनाओं.....“ पढ़ा जाए ।
- (3) पृष्ठ सं.23 पर, पैरा 2.04 में,“.....01 जनवरी 1980 से 31 दिसम्बर 1989 के बीच साधारण तौर पर जम्मू एवं कश्मीर राज्य के कश्मीर मंडल का निवासी“ के स्थान पर
“.....01 जनवरी 1980 से 31 दिसम्बर 1989 की अवधि के दौरान साधारण तौर पर जम्मू एवं कश्मीर राज्य के निवासी“ पढ़ा जाए ।
- (4) पेज 23 पर पैरा 2.09 में न्यूनतम जन्मतिथि “02-07-1992“ के स्थान पर “ 01-07-1992“ पढ़ा जाए ।
- (5) पेज 24 पर पैरा 15 में रेलवे भर्ती बोर्ड, बिलासपुर का पता “..... जी.पी.ओ. बिलासपुर-495004 (छत्तीसगढ़)“ के स्थान पर “बिलासपुर (छत्तीसगढ़)-495004“ पढ़ा जाए एवं भारतीय पोस्टल आर्डर/डिमान्ड ड्राफ्ट, “.....बिलासपुर में देय“ के स्थान पर भारतीय पोस्टल आर्डर के लिए, “.....जीपीओ, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) के पक्ष में देय तथा डिमान्ड ड्राफ्ट के लिए “.....बिलासपुर (छत्तीसगढ़).....“ के पक्ष में देय पढ़ा जाए ।
- (6) पेज 24 पर पैरा 15 में, रेलवे भर्ती बोर्ड-रांची को आवेदन भेजने हेतु पता, “सहायक सचिव..... ..“ के स्थान पर “सदस्य सचिव.....“ पढ़ा जाए एवं भारतीय पोस्टल आर्डर /डिमान्ड ड्राफ्ट “सहायक सचिव.....“ के पक्ष में देय के स्थान पर “ सदस्य सचिव..... ..“ के पक्ष में देय पढ़ा जाए ।

अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तनीय रहेंगी ।

अध्यक्ष